माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1154 / गोपनीय / एम0एस0यू0 / 2026–27 दिनांक: 24/08/2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,सहारनपुर।

विषय :–वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक / मौखिकी / लघुशोध परियोजना (Research Project) परीक्षा हेतु आवेदन की तिथि विस्तारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1123 / गोपनीय / एम0एस0यू0 / 2026–27 दिनांक 15.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परास्नातक व स्नातक स्तर पर जिन छात्र / छात्राओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सेमेस्टर / वर्ष की प्रयोगात्मक / मौखिकी / लघुशोध परियोजना (Research Project) परीक्षा किन्हीं कारणोंवश छूट गयी है, अर्थात् प्रयोगात्मक / मौखिकी / लघुशोध परियोजना (Research Project) परीक्षा में अनुपस्थित है, ऐसे परीक्षार्थियों की छूटी हुयी प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 1500रू के साथ दिनांक 17.08.2026 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट **msuweb.in** पर छात्र / छात्राओं के आवेदन कराने हेतु पोर्टल खोलकर अवसर प्रदान किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में छात्रहित के दृष्टिगत ऐसे छात्र जो छूटी हुयी प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा के आवेदन करने से वंचित रह गये है, उन सभी छात्र / छात्राओं को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक **24.08.2026 से 29.08.2026** तक प्रयोगात्मक / मौखिकी / लघुशोध परियोजना (Research Project) परीक्षा के आवेदन करने हेतु पोर्टल खोला जा रहा है।

नोटः– छात्र प्रयोगात्मक / मौखिकी / लघुशोध परियोजना (Research Project) परीक्षा का शुल्क ऑनलाइन जमा कराकर परीक्षा फॉर्म सम्बन्धित महाविद्यालय से अग्रसारित कराकर, फीस का प्रिटंआउट एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति सहित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर प्रयोगात्मक परीक्षा के समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अधिकृत एजेंसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव